



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 15, 1978/आषाढ 24, 1900  
No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 15, 1978/ASADHA 24, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)  
केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम  
जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

**General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the  
Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central  
Authorities (other than the Administrations of Union Territories)**

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

(कम्पनी विधि बोर्ड)

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1978

सां०कां०निं० 892.—भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग की अधिसूचना सं० सां०कां०निं० 443(क) तारीख 18 अक्टूबर, 1972 के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 594 की उप-धारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग) की अधिसूचना सं० सां०निं०प्रां० 3216 तारीख 4 अक्टूबर, 1957 की अधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिसूचना' कहा गया है) में प्राथमिक उपास्तर करते हुए कम्पनी विधि बोर्ड एतद्द्वारा यह निदेश देना है कि मसुम प्रोकुरा एण्ड कम्पनी लि० (जिसे इसमें इस के पश्चात्

'कम्पनी' कहा गया है) के मामले में, जो एक विदेशी कम्पनी है, उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) की अपेक्षाओं जैसी कि वे किसी विदेशी कम्पनी के अपने लागू होने के संबंध में अधिसूचना द्वारा उपान्तरित की गई है, निम्नलिखित अन्य अपवादों तथा उपास्तरों के अध्याधीन रहते हुए लागू होंगी, अर्थात् :—

यदि 31 मार्च, 1978 के वित्तीय वर्ष की समाप्ति की बाबत कम्पनी भारत में समुचित कम्पनी रजिस्ट्रार को, निम्नलिखित की तीन प्रतियां प्रस्तुत करे तो उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों का पर्याप्त अनुपालन हुआ समझा जाएगा :—

(क) कम्पनी द्वारा अपने मूल देश में विहित प्राधिकारों को प्रस्तुत विश्व लेखों की प्रतियां। (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 592 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन भारत के प्राधिकृत व्यक्ति तथा भारत के शासक-प्राप्त लेखापाल द्वारा प्रमाणित, भारतीय शाखा द्वारा की गई प्राप्तियों तथा वितरणों का विवरण-पत्र ; (ग) ऊपर के पैरा (क) में वर्णित बंग से प्रमाणित भारत में परिसंपत्तियों तथा देन

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1978

सांकांवि० 908.—महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 28 के खण्ड (ख) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मद्रास के पत्तन के न्यासियों के मण्डल द्वारा निर्मित और तमिलनाडु सरकार के तारीख 22 मार्च, और 29 मार्च, 1978 के राजपत्र के प्रकाशित मद्रास पत्तन न्यास (पेन्शन) संशोधन विनियम 1978 नामक विनियमों का अनुमोदन करती है।

[संख्या पी०ई०एम० (32)/78]

दीवानचन्द अहीर, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd July, 1978

G.S.R. 908.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves of the regulation entitled "Madras Port Trust (Pension) Amendment Regulations, 1978" made by the Board of Trustees for the Port of Madras in exercise of the powers conferred by clause (b) of section 28, of the said Act and published in the Tamil Nadu Government Gazette, dated the 22nd and the 29th March, 1978.

[No. PEM(32)/78]

D. C. AHIR, Under Secy.

### सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 जून, 1978

सांकांवि० 909.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, आकाशवाणी (श्रेणी 4

सांकांवि० 910.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, आकाशवाणी (श्रेणी 1 पद) भर्ती नियमावली, 1963 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी 1 पद) भर्ती (समुह संशोधन) नियमावली, 1978 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (श्रेणी 1 पद) भर्ती नियमावली, 1963 की अनुसूची में, क्रम संख्या 7 और 8 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी; अर्थात्:—

1	2	3	4	5	6	7	8
7. निदेशक (फार्म और गृह)	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित	1500-60-1800- 100-2000 रुपए	चयन	45 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिलनीय)। टिप्पणी: ग्राम्य सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले उम्मीदवारों (प्रचलित ब निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों को छोड़कर) से आवेदनपत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी।	7	8
आवश्यक:							
(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से कृषि में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य।							
(2) किसी विश्वविद्यालय या कालेज या किसी सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कृषि संचार या विस्तार या शिक्षण या प्रशिक्षण के क्षेत्र में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव (अनुभव में जन संचार या कृषि विस्तार के क्षेत्र में अनुभवान में अनुभव की भी गणना की जाएगी)।							

पद) भर्ती नियमावली, 1964 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी 4 पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1978 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (श्रेणी 4 पद) भर्ती नियमावली, 1964 में, "(श्रेणी 4 पद)" कोष्ठक, संख्या और शब्द जहाँ कहीं भी हो उनके स्थान पर "समूह 'ग'" शब्द और अक्षर प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० 12019/5/78-बी०(ए०)]

### MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 21st June, 1978

G.S.R. 909.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class IV posts) Recruitment Rules, 1964, namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class IV Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the All India Radio (Class IV Posts) Recruitment Rules, 1964, for the brackets figure and the words "Class IV posts)", wherever they occur the word and letter "Group 'D'" shall be substituted.

[No. 12019/5/78-B(A)]